LLB 3 years first semester

&

LLB 5 year fifth semester

Law of torts -1

Unit-ll

Volenti non fit injuria
Necessity private and public
Plaintiff's default
Act of God
Inevitable accident
Private defence
Statutory authority
Judicial and Quasi judicial acts
Mistake

Pankaj Katiyar
Assistant professor
Awadh Law College Barabanki

Justification in tort (general defences or general exceptions)

सा मान्यता प्रतिवादी अपने द्वारा किए गए अपकृत्य के लिए उत्तरदायी होता है परंतु कुछ ऐसी विशिष्ट परिस्थितियां होती हैं। जबकि प्रतिवादी अपने द्वारा किए गए अपकृत्य पूर्ण कार्य के लिए उत्तरदायी नहीं होता है। इन्हीं विशेष परिस्थितियों को ही सामान्य अपवाद की श्रेणी में रखा जाता है। यह अपवाद दो प्रकार के होते हैं :

1-विशेष अपवाद
2-सामान्य अपवाद

1-वे अपवाद जिनका संबंध विशेष प्रकार के अपकृत्यों से होता है जैसे मानहानि की किसी कार्यवाही में विशेषाधिकार का अपवाद।

2-वे अपवाद जो सभी प्रकार के अपकृत्यों में लागू होते हैं उन्हें सामान्य अपवाद कहते हैं।

यह निम्नलिखित प्रकार के होते हैं

1- सम्मति volenti non fit injuria
2-आवश्यकता necessity
3-वादी स्वयं अपकारी plaintiff the wrongdoer
4-अनिवार्य दुर्घटना inevitable accident
5-प्राइवेट प्रतिरक्षा private defence
6-दैवकृत्य act of God

7-सांविधिक प्राधिकार statutory authority
8-न्यायिक एवं अर्ध न्यायिक कार्य judicial and Quasi judicial acts
9-भूल mistake

Voluntary non fit injuria(सम्मति)
इसका अर्थ होता है कि वादी द्वारा स्वेच्छा से उठाई गई हानि से उसे विधिक क्षति नहीं होती है तथा वह उसके लिए वाद नहीं ला सकता क्षति उठाने की सम्मति अभिव्यक्त अथवा विवक्षित हो सकती है। जैसे जब आप किसी व्यक्ति को अपने घर पर आमंत्रित करते हैं तब आप उसके विरूद्ध अतिचार का वाद दायर नहीं कर सकते। इसी प्रकार यदि एक व्यक्ति अपने ही प्रतिकूल किसी मानहानिकारक विषय के प्रकाशन की सम्मति दे देता है तो वह ऐसे प्रकाशन के लिए मानहानि का वाद दायर नहीं कर सकता।

परंतु कई बार सम्मति या तो विवक्षित हो सकती है या पक्षकारों के आचरण से अनुमानित की जा सकती है जैसे क्रिकेट अथवा फुटबॉल के खेल में यह मान लिया जाता है कि खिलाड़ी उस चोट को सहने के लिए सहमत है जो उस खेल के सामान्य प्रक्रम में उसे लग सकती है।

प्रमुख वाद:
हाल बनाम ब्रुकलैंड्स ऑटो रेसिंग क्लब_____
इस बाद में न्यायालय ने आधारित किया कि वादी ने विवक्षित ऐसी क्षति का खतरा स्वयं उठाया था । क्योंकि इस खेल में खतरा ऐसा था कि कोई भी दर्शक इस का पूर्वानुमान कर सकता था इसलिए प्रतिवादी को उत्तरदायी नहीं ठहराया गया।

पद्मावती बनाम दुग्गानैका_____
के बाद में यह धारित किया गया कि चोटों और मृत्यु कारित होने के लिए ना तो चालक उत्तरदाई था और ना ही जीप का स्वामी क्योंकि प्रथमता यह एक शुद्ध दुर्घटना का मामला था और द्वितीयता अनजान व्यक्ति स्वेच्छा जीप में सवार हुए थे ऐसे मामलों में सम्मति की प्रतिरक्षा का सिद्धांत लागू होता है

आवश्यक शर्तें:

1-सम्मत स्वतंत्र होनी चाहिए__

सम्मति की प्रतिरक्षा सुलभ होने के लिए यह आवश्यक है कि वादी की सम्मति स्वतंत्र हो यदि वादी की सम्मति कपट विवशता अथवा भूल के प्रभाव से युक्त है तो ऐसी सम्मति प्रतिरक्षा के रूप में नहीं मानी जा सकती, प्रतिवादी द्वारा किया गया कार्य भी ऐसा होना चाहिए जिसके लिए सम्मति दी गई है। उदाहरण के लिए यदि आप किसी व्यक्ति को अपने घर पर आमंत्रित करते हैं तो आप उसके विरुद्ध अतिचार का दावा नहीं कर सकते परंतु आगंतुक व्यक्ति यदि किसी ऐसे स्थान पर जाता है जिसके लिए उसे सम्मति नहीं की गई है तो वह अतिचार के लिए उत्तरदायी होगा।

प्रमुख बाद:
In imperial chemical industries limited versus Shatwell 1965

In Lakshmi Rajan vs malar hospital limited 1998

2-विधि विरुद्ध कृत्य के विरुद्ध नहीं

यदि सम्मति विधि विरुद्ध किसी कृत्य के विरुद्ध दी गई है तो ऐसी सम्मति प्रतिरक्षा का आधार नहीं हो सकती।

3-केवल ज्ञान का तात्पर्य सम्मति नहीं है।

सम्मति(volenti non fit injuria) सिद्धांत के प्रवर्तन हेतु दो बातों का साबित किया जाना आवश्यक है-

1-वादी जानता था कि खतरा है।

2-खतरे को जानते हुए भी वह हानि सहन करने के लिए सहमत हो गया।

इन दोनों बातों में से यदि पहली बात साबित हो जाती है अर्थात यह की वादी को केवल खतरे का ज्ञान था तो इसे प्रतिरक्षा के तर्क के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि सूत्र यह है "जो सम्मत देता है उसे क्षति नहीं होती" (volenti non fit injuria)यह नहीं कि "जो जानता है उसे क्षति नहीं होती" (scienti non fit injuria) मात्र यह की वादी को हानि का ज्ञान था यह संकेत नहीं करता कि उसने उसे सहन करने की भी सहमति दे दी है।

प्रमुख वाद
Smith vs Baker____
हाउस ऑफ लार्ड्स द्वारा निर्धारित किया गया कि क्योंकि इस मामले में वादी को खतरे का ज्ञान मात्र ही था तथा उसने खतरे से होने वाली क्षति सहन करने की सहमति नहीं दी थी। प्रतिवादी उसे प्रतिकर देने के लिए उत्तरदाई है

परिसीमा ----

सम्मति का बचाव निम्नलिखित मामलों में लागू नहीं होता:
1-प्रतिवादी का उपेक्षा पूर्ण आचरण
2-रक्षण अथवा बचाव के मामले
3-कपट द्वारा प्राप्त सहमति में

1-

प्रतिरक्षा का तर्क मान्य होने के लिए यह भी आवश्यक है कि किया गया कार्य ऐसा हो जिसके लिए सम्मत दी गई है।
जैसे यदि हाकी खेलते समय कोई व्यक्ति उस समय क्षतिग्रस्त हो जाता है जब वह विधि पूर्ण ढंग से खेली जा रही है तो वह किसी भी अन्य खिलाड़ी के विरुद्ध किसी भी प्रकार का दावा नहीं कर सकता क्योंकि यह माना जाएगा कि उसने खेल की समस्त घटनाओं के लिए सहमत दे रखी है। परंतु यदि कोई खिलाड़ी उपेक्षा पूर्ण रूप से अथवा जानबूझकर हाथी से चोट पहुंचाता है तो निश्चित ही क्षतिग्रस्त व्यक्ति उसे उत्तरदाई बना सकता है और वह सम्मति का तर्क नहीं ले सकता।

प्रमुख वाद
स्लेटर बनाम क्ले क्राश कंपनी लिमिटेड 1956_____
के बाद में प्रतिवादी को उत्तरदाई ठहराते हुए न्यायाधीश लॉर्ड डेनिंग ने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि जब यह महिला सुरंग से होकर जा रही थी तब उसके विषय में यह कहा जा सकता था कि उसने साधारण और अभ्यस्त ढंग से ट्रेन की चाल से होने वाले खतरे का जोखिम उठाया था परंतु उसने चालक की असावधानी का खतरा नहीं उठाया था खतरे के प्रति उसका ज्ञान योग दाई उपेक्षा का विषय बन सकता है परंतु कार्यवाही के लिए अवरोध नहीं।

2-

रक्षण अथवा बचाव के मामले सम्मति के सिद्धांत का अपवाद है जब वादी किसी व्यक्ति का बचाव करने के लिए किसी ऐसे खतरे का स्वयं स्वेक्षया सामना करता है जो प्रतिवादी के दोषपूर्ण कार्य से उत्पन्न हुआ है तो उसके विरुद्ध सम्मति का सिद्धांत कार्य नहीं करता।

प्रमुख वाद

हेंस बनाम हारवुड 1935

के बाद में यह धारित किया गया की प्रतिवादी उत्तरदायी थे लॉर्ड जस्टिस ग्रिअर ने अमेरिकी नियम को अंगीकृत करते हुए यह अभिमत व्यक्त किया कि जोखिम लेने का सिद्धांत वहां लागू नहीं होता जहां वादी ने दूसरों को व्यक्तिगत अथवा मृत्यु के ऐसे आसन्न खतरे से बचाव करने के लिए जो प्रतिवादी के दोषपूर्ण आचरण से कारित हुआ है सचेतित अवस्था में जानबूझकर स्वयं अपने को ऐसे खतरे में डाल दिया है जिससे स्वयं उसी की मृत्यु तक कारित हो सकती है चाहे भले ही वह व्यक्ति जो खतरे की गिरफ्त में आ गया है उसके ही परिवार का सदस्य है और वह उनके संरक्षण के कर्तव्य-भार से युक्त है अथवा वह कोई अपरिचित व्यक्ति है और वादी उसके प्रति ऐसे किसी विशेष कर्तव्य बाहर से युक्त नहीं है।

Necessity(आवश्यकता)

The term necessity literally means if a person commits an act intentionally, causing harm or damage to another with a view to prevent or reduce the evil consequences there on we say that the act is committed out of necessity.

अर्थात यदि किसी ऐसे कार्य से क्षति कारित हुई है जिसे किसी उससे बड़ी क्षति के निवारण की आवश्यकता से अभिभूत होकर किया गया है तो वह कार्यवाही योग्य नहीं है चाहे भले ही वह कार्य साशय किया गया हो आवश्यकता और प्राइवेट पृतिरक्षा में अंतर है आवश्यकता के अंतर्गत किसी निर्दोष व्यक्ति को हानि पहुंचाई जाती है जबकि प्राइवेट प्रतिरक्षा के अंतर्गत हानि इसलिए कारित की जाती है क्योंकि स्वयं वादी ही अपकारी है। आवश्यकता और अनिवार्य दुर्घटना में भी अंतर है आवश्यकता के अंतर्गत हानि आशयित होती है जबकि अनिवार्य दुर्घटना के अंतर्गत हानि के रोकने के अधिकतर प्रयास के बावजूद भी हानि कारित हो जाती है।

उदाहरण:

आग को फैलने से रोकने हेतु मकान गिरा देना जिससे आग अन्य संपत्ति में ना फैलने पाए।
तूफान के दौरान जहाज को खतरे से बचाने हेतु जहाज का सामान समुद्र में फेंक देना।
जेल में भूख हड़ताल करने वाले व्यक्तियों को जबरन खाना खिलाना।

माउस के बाद में अवधारित किया गया कि किसी जलयान को हल्का करने के लिए उस पर लदे माल को जल में फेंकना ताकि जलयान या उस पर सवार यात्री डूबने से बच जाएं व्यक्ति को उत्तरदाई नहीं बनाता है।

काल्टन बनाम थॉमस 1891 Q.B.

के बाद में प्रतिवादी ने वादी की भूमि पर सद्भावना के साथ अग्निशमन हेतु प्रवेश किया परंतु वहां अग्निशमन प्रशासन कार्यकर्ता पहले से ही कार्यरत थे प्रतिवादी का उस भूमि पर प्रवेश उचित नहीं माना गया और वह अतिचार के लिए उत्तरदाई ठहराया गया।

लेग बनाम ग्लैडस्टोन___

के बाद में भूख हड़ताल पर बैठे एक कैदी का जीवन बचाने के लिए उसे बलपूर्वक खाना खिलाया गया। सम प्रहार की कार्रवाई में इस कार्य को उचित प्रतिरक्षा माना गया।

वादी स्वयं अपकारी (plaintiff the wrongdoer)_____

संविदा विधि के अंतर्गत यह सिद्धांत कार्य करता है कि न्यायालय किसी ऐसे व्यक्ति की कोई सहायता नहीं कर सकता जिसकी कार्यवाही का आधार कोई अनैतिक अथवा अवैध कार्य है यह सिद्धांत "EX turpi causa non oriture actio"सूत्र के रूप में जाना जाता है जिसका तात्पर्य है किसी अधर्म कार्य होने से कोई दावा नहीं कर सकता। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि वादी की कार्रवाई का आधार कोई विधि विरुद्ध संविदा है तो सामान्यता वह अपनी कार्यवाही में सफल नहीं हो सकता।

वर्ल्ड बनाम हालब्रुक 1828 के बाद में वादी ने प्रतिवादी की भूमि पर अतिचार निवारण हेतु अपनी भूमि में एक चोर बंदूक लगा रखी थी जिससे वादी को क्षति कारित हुई। न्यायालय ने यह धारित किया कि यद्यपि वादी अपने कार्यों के लिए दोषी था परंतु उसे कार्य किए गए अनावश्यक क्षति के लिए प्रतिवादी क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदाई था प्रतिवादी ने अपने बाग में चोर बंदूक की स्थापना किसी को सूचना दिए बिना की थी।
जब वादी स्वयं ही अपकारी है तो वह अपकृत्य के अंतर्गत क्षतिपूर्ति का प्रत्यादान प्राप्त करने से तब तक वंचित नहीं किया जा सकता जब तक कि स्वयं उस की ओर से कोई विधि विरुद्ध कार्य अथवा आचरण प्रस्तुत नहीं किया गया है और उसका ऐसा कार्य अथवा आचरण उस अपहानि से संबंध नहीं है जिसको उसने कार्य अथवा आचरण के एक ही कार्य व्यापार में सहन किया है इस प्रकार यह देखना है कि वादी के दोषपूर्ण कार्य और उसके द्वारा सहन की गई अपहानि का निर्णयआत्मक कारण है तो उसके पास कार्यवाही करने का कोई भी कारण उपलब्ध नहीं था।

उदाहरण के लिए प्रतिवादी के नियंत्रण में एक पुल है और वह वादी के एक अति भारी ट्रक के उसके ऊपर से जाने से टूट जाता है यदि यह ट्रक पूर्व प्रसारित चेतावनी के विपरीत आवश्यकता से अधिक लाद दी गई है और इस प्रकार ला दी गई अधिकारी ट्रक को प्रतिवादी द्वारा सामान्यता पुल पर जाने का रास्ता नहीं किया लेकिन फिर भी वादी ट्रक को पुल पर ले जाता है तो वादी का यह दोषपूर्ण कार्य दुर्घटना होने का क्या कारण है ऐसे किसी मामले में चाहे भले ही वह फुल समुचित मरम्मत से विहीन रहा हो वादी की कार्यवाही विफल हो जाएगी क्योंकि वह तो स्वयं ही था ।

यदि क और ख सेंध मारकर किसी परिसर में प्रवेश कर रहे हैं और परिसर में प्रवेश करने के पूर्व ही ख दूसरा व्यक्ति क की जेब काटकर उसकी छड़ी चुरा लेता है तो इस स्थिति में क अपकृत्य के अंतर्गत वाद संस्थित कर सकता है परंतु यह शर्त है कि इसके पूर्व उसने ख के प्रतिकूल चोरी का अभियोग चलाया हो यहां घड़ी की चोरी सेंध मारने के कार्य से पूर्णत असंम्बन्ध है।

दैवकृत्य(act of God)___

दैवकृत्य एक उचित प्रतिरक्षा है इस तर्क को कठोर दायित्व अर्थात रायलैंडस बनाम फ्लेचर के नियम के अंतर्गत दायित्व के लिए भी एक वैध प्रतिरक्षा के रूप में माना गया है दैवकृत भी एक प्रकार की अनिवार्य दुर्घटना है अंतर केवल यह है कि दैवकृत्य के अंतर्गत प्रतिफलित क्षति अत्यधिक वर्षा आंधी तूफान ज्वालामुखी आदि जैसे प्राकृतिक बलों से कारित होती है।

इसके लिए दो बातें आवश्यक है-
1-प्राकृतिक बल अवश्य कार्य कर रहा हो।
2-घटना असाधारण है और ऐसी ना हो जिस का पूर्वानुमान किया जा सकता हो या युक्तियुक्तत: जिससे रक्षा की जा सकती हो।

प्राकृतिक बलों का कार्य करना___

रामलिंगा नाडर बनाम नारायण रेड्डियार---के बाद में यह पारित किया गया कि किसी अनियंत्रित भीड़ के आपराधिक कार्यकलापों को जिसके अंतर्गत प्रतिवादी की लारी द्वारा परिवहन किए गए माल को लूट लिया गया था दैवकृत् नहीं माना जा सकता और सामान्य वाहक के रूप में प्रतिवादी इस माल की हानि के लिए उत्तरदाई है

निकोल्स बनाम मारस्लैंड_____

के बाद में इस प्रतिरक्षा का सफलतापूर्वक अभिवचन किया गया । इस बाद में प्रतिवादी ने अपनी भूमि पर कुछ प्राकृतिक जल स्रोतों को बांधकर कृतिम झील का निर्माण किया एक बार ऐसी असाधारण और भारी वर्षा हुई कि उसके परिणाम स्वरूप इस झील के बंध टूट गए वर्षा इतनी असाधारण थी कि वह मनुष्य स्मृति में पहले कभी नहीं हुई थी पानी के प्रवाह से वादी के चार पुल बह गए। यह धारित किया गया कि इस कारित क्षति के लिए प्रतिवादी उत्तरदाई ना थे क्योंकि वह दैवकृत से उत्पन्न हुई थी।

घटना असाधारण अवश्य हो___

कल्लू लाल बनाम हेमचंद के बाद में एक भवन की दीवार एक दिन ढह गई उस दिन 2.66 इंच वर्षा हुई थी दीवार गिरने के कारण वादी के 2 बच्चों की मृत्यु हो गई मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने यह धारित किया कि प्रतिवादी (अपीलकर्ता) उस मामले में दैवकृत की प्रतिरक्षा का तर्क नहीं उठा सकता क्योंकि वर्षा ऋतु में इतनी वर्षा का होना असाधारण बात नहीं थी उसका पूर्वानुमान किया जा सकता था और उससे बचाव के लिए रक्षा प्रबंध किए जा सकते थे।

अवश्यंभावी दुर्घटनाएं (inevitable accident)__

अवश्यंभावी दुर्घटनाओं का आधार भी अपकृत्य दायित्व का एक अपवाद या बचाव है अवश्यंभावी दुर्घटनाओं से तात्पर्य ऐसी दुर्घटनाओं से है जिन्हें किसी सावधानियों से बचाया नहीं जा सकता जो एक युक्तियुक्त व्यक्ति से ऐसा कार्य करते समय लेने की आशा की जा सकती है।

इसका तात्पर्य ऐसी दुर्घटना से नहीं है जिसका घटित होना पूर्णतया असंभव हो वरन इसका तात्पर्य यह है कि उसे ऐसी किसी भी सतर्कता द्वारा बचाना संभव नहीं था।

उदाहरण----

यदि एक मोटर गाड़ी के ड्राइवर को दिल का दौरा पड़ता है तथा दुर्घटना हो जाती है या गाड़ी मोटर गैरेज से ठीक करा के जब निकलता है तत्काल तथा उसकी उपेक्षा से नहीं वरन ब्रेक फेल होने के कारण दुर्घटना हो जाती है तो अवश्यंभावी दुर्घटना का अपवाद या बचाव लागू होता है।

Stanley vs Powell 1891Q.B.

के बाद में वादी और प्रतिवादी एक आखेट पार्टी के सदस्य थे और दोनों चकोर के शिकार पर गए थे प्रतिवादी ने चकोर पर गोली चलाई परंतु उसके बंदूक से निकली हुई गोली एक वृक्ष से टकरा गई और वहां से पलटकर वादी को जा लगी जिसके परिणाम स्वरूप वादी को क्षति पहुंची यह धारित किया गया की वादी की क्षति दुर्घटना थी और प्रतिवादी उसके लिए उत्तरदाई नहीं था।

Brown v/s. Kendall

के बाद में वादी तथा प्रतिवादी के कुत्ते आपस में लड़ रहे थे उन्हें अलग करने के लिए प्रतिवादी एक छड़ी से पीटा रहा था तथा अपनी सुरक्षा की दृष्टि से वह पीछे भी हटता जा रहा था उसकी पीठ की ओर कुछ दूरी पर वादी खड़ा था पीछे हटते हटते जब एक बार प्रतिवादी ने छड़ी कुत्ते को मारने के लिए उठाई तो वादी की आंख में लग गई जिससे कि वह गंभीर रूप से घायल हो गया वादी ने नुकसानी प्राप्त करने हेतु प्रतिवादी के विरुद्ध वाद दायर किया न्यायालय ने निर्णय दिया कि प्रतिवादी दायी नहीं था क्योंकि वादी को हुई क्षति केवल एक शुद्ध दुर्घटना थी जो अस्वैच्छिक तथा अवश्यंभावी या ऐसी थी जिसे बचाया नहीं जा सकता था।

वैयक्तिक बचाव(private defence)__

युक्तियुक्त बल का प्रयोग करके अपने शरीर और अपनी संपत्ति की रक्षा के लिए विधि अनुज्ञा प्रदान करती है प्रतिवादी यदि उतने बल का प्रयोग करता है जो आत्मरक्षा के लिए आवश्यक है तो उसके द्वारा हानि के लिए उत्तरदाई नहीं है । बल का प्रयोग केवल प्रतिरक्षा के लिए ही न्याय संगत अथवा औचित्य पूर्ण माना गया है।आत्मरक्षा में केवल तभी बल का प्रयोग न्याय संगत माना जा सकता है जब दैहिक संरक्षा अथवा संपत्ति हानि की आशंका हो।

उदाहरण:

ख के प्रतिकूल क द्वारा मात्र इस कारण बल का प्रयोग न्याय संगत नहीं माना जाएगा क्योंकि क यह समझता है कि ख किसी दिन उस पर आक्रमण कर सकता है इसी प्रकार यदि का प्रतिशोध की भावना तृप्ति के लिए ख पर तब आक्रमण करता है जब ख ने क पर अपना आक्रमण पूरा कर लिया है तो भी क द्वारा किया गया आक्रमण न्याय संगत नहीं माना जाएगा।

वैयक्तिक बचाओ दो प्रकार का होता है
1-शरीर का वैयक्तिक बचाव
2-संपत्ति का वैयक्तिक बचाव

प्रत्येक मनुष्य को अपने तथा उन लोगों जिनको सहारा देने को वह बाध्य है के शरीर को युक्तियुक्त बचाव करने का अधिकार है अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को अपने तथा अपने परिवार के सदस्यों के शरीर का युक्तियुक्त बचाव करने का अधिकार है परंतु यह आवश्यक है कि आत्मरक्षा में किया गया सत्य का प्रयोग युक्ति युक्त तथा अनुपाती होना चाहिए।

वैयक्तिक बचाव का अधिकार सम्पति के लिए भी उपलब्ध होता है परंतु किसी व्यक्ति को संपत्ति के लिए व्यक्तिगत बचाव का अधिकार तभी मिलता है जब की संपत्ति पर उसका वास्तविक कब्जा है

संपत्ति की संरक्षा के निमित्त विधि ऐसे उपक्रम को अपनाने की अनुज्ञा प्रदान करती है जो युक्तियुक्त आवश्यक हो।

Bird V/S. holbrook 1823
के बाद में प्रतिवादी ने बिना किसी सूचना के अपने बगीचे में एक चोर बंदूक लगवा रखी थी जिसके परिणाम स्वरूप एक अधिकारी इसके स्वता चालन के परिणाम स्वरूप गंभीर रूप से घायल हो गया था यह धारित किया गया कि वादी क्षतिपूर्ति का अधिकारी था क्योंकि उसके विपरीत जिस बल का प्रयोग किया गया था वह अवसर की आवश्यकता के अनुपात में अधिक था।

Collins v/s. renison 1754
के बाद में वादी प्रतिवादी के बगीचे में एक दीवार पर बोर्ड लगाने के लिए सीढ़ी पर चढ़ा हुआ था प्रतिवादी ने उसे सीढ़ी से अलग कर जमीन पर गिरा दिया और जब उसके विपरीत हमला करने का वाद संस्थित किया गया तो उसने यह अभिवाक प्रस्तुत किया कि उसने सीढ़ी को धीरे से हिलाया था सीढ़ी बहुत छोटी थी इस सीढ़ी को उसने अत्यंत धीरे-धीरे उलट दिया था और वादी को धीरे से उसने जमीन पर गिराया था और इस कार्य में वह लगातार यह प्रयास कर रहा था कि वादी को कम से कम क्षति कारित हो उसने यह भी कहा कि जब प्रतिवादी ने नीचे उतरना अस्वीकार कर दिया तभी उसने ऐसा कार्य किया था यह धारित किया गया की भूमि के कब्जे की प्रतिरक्षा में जिस बल का प्रयोग किया गया था वह औचित्य पूर्ण नहीं था।

सांविधिक प्राधिकार (statutory authority)

B. सांविधिक प्राधिकार का बचाव उन मामलों में उपलब्ध होता है जिनमें वादी को क्षति किसी ऐसे कृत्य के परिणाम स्वरुप होती है जो किसी अधिनियम द्वारा प्राधिकृत होता है यदि अधिनियम द्वारा ऐसा कृत्य प्राधिकृत ना होता तो वह अपकृत्य होता।

अर्थात यदि क्षति किसी ऐसे कार्य से होती है जिसे विधान मंडल ने करने के लिए प्राधिकृत अथवा निर्दिष्ट किया है तो वह क्षति वाद योग्य नहीं है जब कोई कार्य किसी अधिनियम के प्राधिकार से किया जाता है तो यह एक पूर्ण प्रतिरक्षा के रूप में मान्य है और क्षत पक्षकार को उस उपचार के अतिरिक्त कोई अन्य उपचार नहीं मिल सकता जो स्वयं उस संविधि में प्रदान किया गया है।

यदि किसी रेल पथ का निर्माण किया जाता है तो वह किसी प्राइवेट भूमि के साथ हस्तक्षेप भी हो सकता है जब रेल गाड़ी चलती है तब उसके शोर पृकंपन धुएं और चिंगारिओं के उड़ने आदि से कुछ हानि हो सकती है । ऐसे किसी प्रकार के हस्तक्षेप से चाहे वह भूमि का हस्तक्षेप हो अथवा आनुषंगिक हानि उसे अपकृत्य मान कर कोई भी कार्यवाही नहीं की जा सकती किंतु यदि उसके लिए क्षतिपूर्ति के भुगतान कि अधिनियम में व्यवस्था की गई है तो केवल उसके लिए वाद लाया जा सकता है।

Smith v/s. London and south Western railway company 1870
के बाद में रेलवे कंपनी के कर्मचारियों ने घास और बाड़ो के काट- छांट के ढेर को उपेक्षा के साथ रेल पथ के समीप छोड़ दिया एक इंजन से निकली हुई चिंगारी के कारण इस ढेर में आग लग गई और वह आग रेल पथ से 200 गज दूर हवा के तेज झोंके के कारण वादी की झोपड़ी तक पहुंच गई झोपड़ी जलकर राख हो गई क्योंकि यह रेल कंपनी के कर्मचारियों की उपेक्षा का एक मामला था अता रेल कंपनी को उत्तरदाई ठहराया गया।
Hamper Smith rail company v/s. brand 1869
के बाद में रेलगाड़ियों के चलने के कारण उससे उत्पन्न शोर प्रकंपन और धुएं से वादी की संपत्ति के मूल्य में बहुत अधिक कमी हो गई रेल पथ जिस पर यह गाड़ियां चलती थी सांविधिक प्राधिकार से निर्मित किए गए थे संविधि द्वारा प्राधिकृत गाड़ियों के कारण जो क्षति हुई थी वह चूंकि आवश्यकता के आनुषंगिक की थी इसलिए धारित किया गया की क्षतिपूर्ति के लिए कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती।

निरंकुश और सशर्त प्राधिकार:

संविधि किसी कार्य को करने का निरंकुश अथवा सशर्त प्राधिकार प्रदान कर सकती है प्रथम स्थिति में चाहे भले ही कोई अपदूषण अथवा कोई अन्य हानि ऐसे कार्य से घटित हुई हो उसके लिए प्रतिवादी उत्तरदाई नहीं हो सकता द्वित्तीय स्थिति में अर्थात जब संविधि द्वारा दिया गया प्राधिकार सशर्त होता है तो शर्त यह हो सकती है की प्राधिकृत कार्य केवल तभी किया जाए जब उसके कोई अपदूषण अथवा कोई अन्य हानि कारित ना हो । ऐसी शर्त अभिव्यक्त अथवा विवक्षित हो सकती है।

Metropolitan Asylum district v/s. Hill 1881
के बाद में अपीलकर्ता को जो एक चिकित्सालय प्राधिकारी था चेचक चिकित्सालय स्थापित करने के लिए सशक्त किया गया था इन्होंने एक आवासी क्षेत्र में चिकित्सालय का निर्माण इस प्रकार किया कि उस क्षेत्र के वासियों के प्रति रोग फैलने का खतरा विधमान हो गया इसे एक अपदूषण माना गया और अपीलकर्ता के विरूद्ध चिकित्सालय को हटाने के लिए व्यादेश जारी किया गया । इस वाद में सांविधिक प्राधिकार को इस अर्थबोध के अंतर्गत सशर्त माना गया कि वे केवल उसी स्थिति में चिकित्सालय का निर्माण कर सकते हैं जिससे कि उसके निर्माण से किसी प्रकार के अपदूषण का सृजन ना हो रेल अधिनियम के अंतर्गत सामान्यता रेल निर्माण का निरंकुश प्राधिकार प्रदान किया जाता है गाड़ियों के चलने से चाहे अपदूषण कार्य हो रेल कंपनी उसके लिए उत्तरदाई नहीं होती।

न्यायिक एवं अर्ध न्यायिक कार्य (judicial and Quasi judicial act)

किसी न्यायाधीश द्वारा न्यायिक शक्तियों के प्रयोग करते समय किए गए कार्य तथा बोले गए शब्दों के लिए कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती है । उन्मुक्ति का यह सिद्धांत उच्चतर तथा निचले दोनों ही न्यायालयों के न्यायाधीशों पर लागू होता है उन्मुक्ति का यह सिद्धांत उच्चतर एवं निचले दोनों न्यायालय हो के न्यायाधीशों पर लागू होता है। यह उन्मुक्ति इस सिद्धांत पर आधारित है कि न्यायाधीशों की न्यायिक कार्यों को बिना डर तथा परिणामों के भय के बिना करने की पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए उन्मुक्ति का उद्देश्य यह है कि न्यायाधीशों को परेशान करने वाले सिविल वादों की परेशानी से बचाया जा सके यदि कोई न्यायाधीश न्यायिक गलती करता है तो विधि में उसके निर्णय के विरुद्ध उच्चतर न्यायालय में अपील की जा सकती है तथा यदि भ्रष्टाचार का दोषी है तो उसके विरुद्ध आपराधिक अभियोग चलाया जा सकता है परंतु इनमें से किसी भी दशा में उस पर सिविल न्यायालय में वाद नहीं चलाया जा सकता है न्यायिक उन्मुक्ति का यह सिद्धांत लोक नीति पर आधारित है।

इस इंग्लिश सिद्धांत को भारत में भी जुडिशल ऑफिसर्स प्रोटेक्शन एक्ट 1850 के द्वारा अपनाया गया है। भारत में न्यायाधीशों की उन्मुक्ति का उल्लेख जुडिशल ऑफिसर्स प्रोटेक्शन एक्ट 1850 में है इसके अनुसार किसी भी न्यायाधीश के विरुद्ध न्यायिक कार्यों को करने के लिए सिविल न्यायालय में अभियोग नहीं चलाया जा सकता चाहे मामला उसके क्षेत्राधिकार में हो या ना हो बशर्ते कि वह संबंधित कार्य के मामले में सद्भाव से विश्वास करता था कि उसे क्षेत्राधिकार था।

न्यायिक सदृश (Quasi judicial acts)कार्य करने वाले अथवा शक्तियों का उपयोग करने वाले व्यक्तियों को भी सिविल अनुयोग से उन्मुक्ति प्राप्त होती है परंतु इसके लिए शर्त यह है कि नैसर्गिक न्याय के नियमों तथा संबंधित अधिनियम तथा प्रथा संबंधी नियमों का पालन किया गया हो। उदाहरण के लिए नैसर्गिक न्याय का नियम यह है किसी व्यक्ति को उसके पद से हटाने के लिए यह आवश्यक है कि-

1-ऐसा कार्य सद्भाव में किया गया हो।

2-उसके अपराध के बारे में न्याय पूर्ण तथा समुचित नोटिस दी जानी चाहिए।

3-उसको बचाव के लिए उपयुक्त सुनवाई का अवसर दिया गया जाना चाहिए।

यदि यह शर्तें पूरी की गई हैं तो उन्मुक्ति का सिद्धांत न्यायिक सदृश कृत्यों के प्रति लागू होता है।

Mistake(भूल)--

जब कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी अन्य व्यक्ति के अधिकारों के साथ हस्तक्षेप करता है तो उसका यह कहना प्रतिरक्षा के अभिभावक के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा कि उसने ईमानदारी के साथ यह विश्वास किया था कि ऐसा करना उसके लिए औचित्य पूर्ण है जबकि ऐसा कोई भी औचित्य वहां विद्यमान नहीं था। भूल चाहे वह तथ्य की हो या विधि की हो सामान्यता अपकृत्य विधि के अंतर्गत की गई किसी कार्रवाई के लिए प्रतिरक्षा के तर्क के रूप में मान्य नहीं है।

उदाहरणार्थ-

किसी दूसरे व्यक्ति की भूमि में यह सोचकर प्रवेश करना कि यह स्वयं उसी की भूमि है अतिचार है दूसरों की भेंड़ों को अपनी भेड़ों के झुंड में मिलाना माल का अधिकार है। मानहानि के आशय के बिना दूसरों की ख्याति को क्षति पहुंचाना मानहानि है।

Consolidated company v/s. Curtis 1894 QB. के बाद में एक ग्राहक ने एक नीलामकर्ता से कुछ माल नीलम करने को कहा नीलामकर्ता ने ईमानदारी के साथ यह विश्वास कर लिया कि माल ग्राहक का ही है अतः उसने वह माल नीलाम कर दिया और विक्रय मूल्य का भुगतान ग्राहक को कर दिया वास्तव में वह माल किसी अन्य व्यक्ति

का था वास्तविक स्वामी द्वारा कार्यवाही करने पर नीलामकर्ता को सम्परिवर्तन के अपकृत्य के लिए उत्तरदाई ठहराया गया।

अपवाद(exception)

इस नियम के कुछ अपवाद भी हैं जब प्रतिवादी यह प्रदर्शित करके अपने उत्तरदायित्व से बच सकता है कि उसने ईमानदारी से परिपूर्ण परंतु भूल से विश्वास करके ऐसा कार्य किया था।

उदाहरण- विद्वेषपूर्ण अभियोजन के अपकार में यह आवश्यक है कि प्रतिवादी ने विद्वेष पूर्ण ढंग से और किसी युक्तियुक्त कारण के बिना कार्य किया हो और यदि किसी निर्दोष पूर्ण व्यक्ति का अभियोजन भूल से कर दिया गया है तो वह कार्यवाही योग्य नहीं है इसी प्रकार किसी कथन की सत्यता का ईमानदारी पूर्ण विश्वास छल(deceit) की कार्रवाई के निमित्त एक अच्छी प्रतिरक्षा है।

Pankaj Katiyar
Assistant professor
Awadh Law College Barabanki